

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5459

दिनांक 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल समझौता

5459. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार राजस्थान के झुंझुनू, चूरू और सीकर जिलों (शेखावाटी क्षेत्र) में व्याप्त गंभीर जल संकट से अवगत है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा उक्त जिलों में पेयजल और कृषि प्रयोजनों के लिए जल उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्ययोजना क्रियान्वित की गई है/क्रियान्वित की जा रही है;
- (ग) क्या राजस्थान के झुंझुनू, चूरू और सीकर जिलों में पेयजल और कृषि सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा और राजस्थान राज्य सरकारों के बीच हाल ही में कोई यमुना जल समझौता हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (घ) केन्द्र सरकार की देखरेख में राजस्थान और हरियाणा राज्य सरकारों के बीच सहयोग के माध्यम से उक्त जिलों को पेयजल और सिंचाई जल की आपूर्ति हेतु तैयार की गई रूपरेखा का व्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): भारत सरकार अगस्त 2019 से राजस्थान सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यान्वित कर रही है, ताकि राजस्थान के झुंझुनू, चूरू और सीकर जिलों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जेजेएम-आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार, 15.08.2019 को झुंझुनू जिले में केवल 42,166 (15.74%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, 97,511 और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 01.04.2025 तक, जिले में 2,72,583 ग्रामीण परिवारों में से 1,39,677 (51.24%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है।

राज्य ने सूचित किया है कि चूरु जिले में 15.08.2019 तक केवल 27,404 ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, 1,75,153 और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 01.04.2025 तक, जिले में 3,00,702 ग्रामीण परिवारों में से 2,02,557 (67.36%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है।

इसी तरह, सीकर जिले में, 15.08.2019 तक केवल 28,482 ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, 1,24,535 ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 01.04.2025 तक, जिले में 2,69,130 ग्रामीण परिवारों में से 1,53,017 (56.86%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है।

राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य ने झुंझुनू, चुरू और सीकर जिलों के ग्रामीण परिवारों सहित राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को कवर करने के लिए जल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाई है।

(ग) और (घ): जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सूचित किए गए अनुसार, भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से जल अंतरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 17.02.2024 को अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार और आयुक्त एवं सचिव (आई एंड डब्ल्यूआर), हरियाणा सरकार द्वारा एक समझौता जापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता जापन का विवरण निम्नानुसार है:

- i.) परियोजना के चरण-I के अंतर्गत हाथीकुंड में दिल्ली के हिस्से सहित हरियाणा द्वारा पश्चिमी यमुना नहर की पूर्ण क्षमता (24,000 क्यूसेक) का उपयोग करने के बाद राजस्थान के चुरू, सीकर, झुंझुनू और राजस्थान के अन्य जिलों की पेयजल आपूर्ति तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए जुलाई से अक्तूबर के दौरान भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से 577 एमसीबी तक जल अंतरण के लिए राजस्थान और हरियाणा सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से एक डीपीआर तैयार की जाएगी और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। दोनों राज्य 04 महीने की अवधि के भीतर डीपीआर तैयार करने और इसे अंतिम रूप देने में पूर्ण सहयोग करेंगे। केन्द्रीय जल आयोग/यूवाईआरबी, जहां आवश्यक हो, वहां तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। साथ ही, दोनों राज्यों ने संयुक्त डीपीआर तैयार करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है।
- ii.) ऊपरी यमुना बेसिन में रेणुकाजी, लखवाड़ और किशाऊ नामक तीन अभिनिर्धारित भंडारों का निर्माण करने के बाद, शेष अवधि के दौरान हाथीकुंड में राजस्थान के तदनुरूपी हिस्से को पेयजल और सिंचाई प्रयोजन के लिए इसी प्रणाली के माध्यम से संभव सीमा तक प्रेषित किया जाएगा।
